

29.7.2025

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावजों व प्रार्थी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का भली-भांति अवलोकन किये जाने पर प्रार्थी जसविन्द्र सिंह की चक 4 एनकेआर-ए खाता संख्या 4/64 में दर्ज भूमि को कृषि कार्य के लिये आने जाने के लिये अप्रार्थी संख्या 2 अपनी खातेदारी भूमि में से बिना कोई प्रतिफल के रास्ता स्वीकृत करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई है इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251 (A) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया उचित प्रतीत होता है।



अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 4 एनकेआर-ए प.न. 151/141 के मु.न. 36 के किला नम्बर 5/1/0.228 है. में से 0.026 है. यानि 2 बिस्वा चौड़ा उतर से दक्षिण पत्थर लाईन के साथ रास्ता स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देशित किया जाता है कि यदि राज्य हित प्रभावित नहीं हो तो उक्त मंजूरशुद्धा रास्ता का राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता के रूप में अंकन किया जावे। तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.7.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया